



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

(संसद के अधिनियम संख्या-25 (2009) के तहत स्थापित, नैक से 'ए' ग्रेड प्राप्त)
(Established vide Act No. 25 (2009) of Parliament, Accredited 'A' Grade by NAAC)
जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा - 123031 District Mahendergarh, Haryana

No.: CUH/VCS/2023/अधिसूचना/ 865

दिनांक: 13.10.2023

अधिसूचना/Notification

यह सर्वसंबंधितों की जानकारी और अनुपालन के लिए है कि किसी भी शैक्षणिक मामले के लिए विश्वविद्यालय में आने वाले किसी भी बाहरी विशेषज्ञ/सदस्य को टीए/डीए के भुगतान के लिए कुलपति से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

This is for information and compliance by all concerned that prior permission of the Vice-Chancellor is required for payment of TA/DA to any External Expert/Member visiting the University for any academic matter.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.


13/10/2023

सहायक कुलसचिव/Assistant Registrar

कुलपति सचिवालय/Vice-Chancellor's Secretariat

प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित:

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:

1. पीठों के संकायाध्यक्ष, ह.के.वि./Deans of all Schools, CUH
2. विभागाध्यक्ष/टी.आई.सी., सभी विभाग, ह.के.वि./HoDs/TICs of all Departments, CUH
3. सभी शिक्षकगण, ह.के.वि./All Faculty Members, CUH
4. सभी प्रशासनिक अधिकारी/गैरशैक्षणिक कर्मचारी, ह.के.वि./
All Administrative Officers/Non-Teaching Employees, CUH
5. वित्त अधिकारी, ह.के.वि./Finance Officer, CUH